पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 10 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 17–08–2022

दिनांक 16/17–08–2022 को रात्रि थाना आशियाना 04, मड़ियांव 01, पीजीआई 03, सआदतगंज 01, विभूतिखण्ड 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 10 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना सुशान्तगोल्फ सिटी–दिनांक 17.08.2022 को थाना सुशान्तगोल्फ सिटी द्वारा बताया गया कि शान्ति पटेल पत्नी स्व0 सुरेश निवासी–अहिमामऊ थाना सुशान्तगोल्फ सिटी लखनऊ ने थाना सुशान्तगोल्फ सिटी पर सूचना दिया दिनांक 16/17.08.2022 की रात्रि में जब परिवार के सब लोग सोने चले गये तो उसके बेटे आकाश उम्र 17 वर्ष ने कमरे में जाकर फांसी लगा ली है। सुबह जब आकाश ने कमरा नहीं खोला तो दरवाजे से झांककर देखा तो उसका बेटा आकाश फांसी पर लटका हुआ है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री अवधेश यादव मो0नं0 8433142979 द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि आकाश उपरोक्त ने अपने घर के कमरे में पंखे के कुण्डे से दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है।

काकोरी–दिनांक 17.08.2022 को थाना काकोरी द्वारा बताया गया कि वादिनी सुहाना पत्नी महेश कुमार पुत्र निवासी–ग्राम खालिसपुर थाना काकोरी लखनऊ ने थाना काकोरी पर सूचना दिया कि दिनांक 16.08.2022 को वादिनी का लड़का अतुल कुमार उम्र करीब 25 वर्ष अपनी दुकान मोटी नीम चौराहा से बन्दकर समय करीब 09.00 बजे रात्रि को घर जा रहा था कि रास्ते में जब वादिनी का लड़का अतुल अपनी मोटरसाइकिल से बेता नाला पुल पर पहुंचा तो सामने से आ रहे अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार 02 अज्ञात युवकों में से पीछे बैठे लड़के ने वादिनी के लड़के अतुल के ऊपर गोली चला दी, जो वादिनी के लड़के अतुल के कन्धे पर लगी। जिसे घायल अवस्था में इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां वादी के लड़के अतुल का इलाज चल रहा है। **इस सूचना पर थाना काकोरी पर मु0अ0सं0 365/2022 धारा 307 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया,** जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री राजू सिंह थाना काकोरी द्वारा की जा रही है।

बंथरा–दिनांक 17.08.2022 को थाना बंथरा द्वारा बताया गया कि वादी श्री मुकेश दुबे पुत्र हरिराम दुबे निवासी–ग्राम गोड़धोवा पोस्ट नेबुईया थाना धुधुली जनपद महाराजगंज ने थाना बंथरा पर सूचना दिया कि दिनांक 16.08.2022 को समय करीब 08.00 बजे रात्रि को वादी के पिता हरिराम दुबे व माता माधुरी दुबे निवासी उपरोक्त उज्जैन से अपने घर महाराजगंज बस से वापस अपने घर जा रहे थे तभी रास्ते में बनी पुल के पास थाना बंथरा लखनऊ में बस रूकवाकर पेशाब आदि करने के लिए उतरे कि तभी पीछे से अज्ञात वाहन चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर वादी के पिता को टक्कर मार दिया गया, जिससे वादी के पिता हरिराम दुबे की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। **इस सूचना पर थाना बंथरा पर मु0अ0सं0 244/2022 धारा 279/338/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया**, जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री शैलेन्द्र सिंह सेंगर थाना बंथरा द्वारा की जा रही है।